तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/1/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 20/4/22 को पेश हो।	
20/4/22	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 8/8/22 को पेश हो।	
8/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रार्थना पत्र T.I. सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/8/22 को पेश हो।	
13/8/22	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत आज पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रार्थना पत्र T.I. में वकील पक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित भूमि ग्राम नैनवां द्वितीय की जमाबंदी संख्या 513 एवं 514 सम्वत् 2068-71 के सह खातेदारान दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित (अनेकों) में अभिनिर्धारित सिद्धांतों व 1964 RRD पेज 88 के अनुसार साधारणतया [illegible] किसी दूसरे सह अभिधारी [illegible] आदेश प्राप्त नहीं कर [illegible] है। [illegible] प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण [illegible] साबित नहीं होता है। रिकॉर्डेड सह खातेदार होने के कारण अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:31:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	के पक्ष में साबित नहीं होता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी-गण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा/सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र, बहस वकील प्रार्थी, राजस्व रिकार्ड एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहें।	

उपखण्ड अधिकारी
बैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:31:32 IST
Reason: SelfAttested